राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट **जयपुर, दिनांक :** 30 SEP 2021

आदेश

विषयः Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भः वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 19–8–2021.

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 19–8–2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि जब तक **आउट डोर चिकित्सा की सुविधा पूर्णतः RGHS पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ नहीं हो अथवा दिनांक 30–9–2021 जो अवधि पहले हो,** तक राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था अनुसार RGHS के अन्तर्गत अधिकृत Health Care Network Provider (HCNP) में आउट डोर चिकित्सीय उपचार कराकर दिनांक 16–7–2021 से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित सीमा में चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण ले सकेंगे।

कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार तथा चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 19–8–2021 की निरन्तरता मे राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत (पेंशनर्स को भी सम्मिलित करते हुए) निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. दिनांक 1–7–2021 से 30–9–2021 तक इन्डोर / आउट डोर रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर व्यय हुई पुनर्भरण राशि का भुगतान कर्मचारियों के लिये उनके चिकित्सा दावे के अन्तर्गत संबंधित बजट मद से राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के दिनांक 16–7–2021 की अधिसूचना से पूर्व के प्रावधानों के अनुसार किये जाने की सहमति दी जाती है।

2. पेंशनर्स के चिकित्सा दावों का निस्तारण कोषाधिकारियों द्वारा पूर्व प्रक्रिया जो राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2014 में निर्धारित है, के अनुसार किया जायेगा परन्तु पारित किये गये दावों का भुगतान RGHS के PD Account से किया जायेगा।

3. **दिनांक 30–9–2021 तक के चिकित्सा दावे दिनांक 31–12–2021 के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

4. दिनांक 1–10–2021 से 31–10–2021 तक के इन्डोर / आउट डोर रोगी के रूप में चिकित्सा पुनर्भरण के दावे RGHS कार्ड धारक के ही स्वीकृत किये जायेंगे। अतः सभी कर्मचारियों / पेंशनर्स के लिये आवश्यक है कि इन्डोर/आउट डोर रोगी के रूप में उपचार कराने पर हर परिस्थिति में RGHS कार्ड जारी कराने के उपरान्त ही स्वयं का चिकित्सा पुनर्भरण दावा प्रस्तुत करें। इस अवधि के दावे बिना RGHS कार्ड के स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. दिनांक 1–11–2021 से समस्त कर्मचारी / पेंशनर्स को इन्डोर / आउट डोर के उपचार की सुविधा सिर्फ RGHS कार्ड के माध्यम से RGHS में अधिकृत HCNP (अनुमोदित चिकित्सालयों आदि) के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे। **दिनांक 31–10–2021 के पश्चात् के इन्डोर / आउट डोर उपचार हेतु कर्मचारी/पेंशनर्स चिकित्सा पुनर्भरण का कोई दावा पूर्व व्यवस्था के अनुसार मान्य नहीं होगा।**

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

Copy forwarded to the -

1. Secretary to Hon'ble Governor
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government
5. Senior DS to Chief Secretary
6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur
7. All Heads of the Departments
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
10. All Treasury Officers
11. All Sections of the Secretariat
12. Administrative Reforms (Gr.7)
13. Vidhi Rachana Sanghthan for Hindi translation
14. Technical Director, Finance Department (Computer Cell)
15. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

20/9/21
(S.Z. Shahid)
Joint Secretary to the Government

(RSR 36 / 2021)